

1. निदेशक  
मोबाईल सर्जिकल यूनिट,  
राज0 जयपुर ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जोन-राजस्थान
3. समस्त अधीक्षक,  
संलग्न चिकित्सालय समूह,  
राजस्थान ।

विषय:- अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितकरण के संबंध में ।  
संदर्भ:- निदेशालय का पूर्व पत्र क्रमांक 1194 दिनांक 19.11.09, 314 दिनांक  
19.04.10, 396 दिनांक 13.5.10 एवं 455 दिनांक 2.06.10 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के संदर्भित पत्र के द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर की अ.शा. टीप क्रमांक प. 5 (2) कार्मिक/क-2/2008/पार्ट-1 दिनांक 17.08.09 के साथ अधिसूचना दिनांक 29.02.09 एवं 08.07.09 की प्रति जिसमें राज्य सरकार द्वारा च0श्रे0कर्मचारी सेवा नियम संशोधित सेवा नियमों में संशोधन कर नियमितकरण संबंधित प्रावधान किया गया है फोटो प्रतियाँ संलग्न कर आपके जोन के अधिन कार्यरत समस्त चिकित्सा संस्थानों/कार्यालयों में ऐसे कितने प्रकरण हैं के क्रम में सूचना प्राप्त कर एवं संकलित कर विशेष वाहक के साथ अविलम्ब निदेशालय को भिजवाने बाबत लिखा गया था, जो आपसे अपेक्षित है ।

अतः पुनः अधिसूचना की फोटो प्रतियाँ संलग्न कर आपके जोन के अधिन कार्यरत कर विशेष वाहक के साथ अविलम्ब निदेशालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण एकल पत्रावली के तहत कार्यवाही हेतु प्रशासनिक विभाग को भिजवाया जा सके । प्रकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जावेगा ।

अति0निदेशक(प्रशा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर ।

क्रमांक:ई-12/एम/(281)/2010/715

दिनांक:- 16/8/10

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3)विभाग, राज0 जयपुर ।
2. समस्त प्रभारी सार्वजनिक विश्लेषक/औषधि नियंत्रक प्रयोगशाला, राजस्थान को भेजकर लेख है कि

उक्त प्रकरण में आपके अधिन कार्यरत कार्मिकों की सूचना तैयार कर भिजवायें ।

3. प्रभारी, सर्वर रूम, वा0न0 302, मुख्यालय ।

अति0निदेशक(प्रशा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर ।